



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 सितम्बर, 2020

आश्विन 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 823/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(143)-2020

लखनऊ, 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-260

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या क०नि०-2-2004/ग्यारह-9 (42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(154)-2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018, को अधिक्रमित करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैतालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैतालीसवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2020 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तारीख 23 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 96 में, नियम 96 का उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा और वह 23 अक्टूबर, संशोधन 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(10) माल या सेवाओं के निर्यातों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसी पूर्तियाँ प्राप्त नहीं करनी चाहिए जिन पर पूर्तिकर्ता ने अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1696/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(71)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017, या अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1663/ग्यारह-9(15)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(73)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 42/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 की प्रसुविधा का उपभोग किया है।”

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 823/XI-2-20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(143)-2020, dated September 23, 2020 :

No. 823/XI-2-20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(143)-2020

Dated Lucknow, September 23, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, by superseding the previously issued notification no. KA. NI.-2-2004/XI-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(154)-2018, dated November 13, 2018, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(FOURTY THIRD AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fourty third Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 23rd October, 2017.

Amendment of
rule 96

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, *for* sub-rule (10), the following sub-rule shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from the 23rd October, 2017, namely :-

"(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the notification no. KA. NI.-2-1696/XI-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(71)-2017, dated November 16, 2017, or notification no. KA. NI.-2-1663/XI-9(15)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(73)-2017, dated November 16, 2017 or notification no. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published

in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1321(E), dated the 23rd October, 2017 or notification no. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification no. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1299 (E), dated the 13th October, 2017."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 316 राजपत्र-2020-(766)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 45 सा0 राज्य कर-2020-(767)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।